



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112025-267678
CG-DL-E-14112025-267678

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5020]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 14, 2025/कार्तिक 23, 1947

No. 5020]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 14, 2025/KARTIKA 23, 1947

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2025

का.आ. 5190(अ).—जबकि राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने घुटना प्रतिस्थापन प्रणाली के लिए आर्थोपेडिक घुटना प्रत्यारोपण की अधिकतम कीमतें का.आ. 2668(अ), दिनांक 16 अगस्त, 2017 के तहत अधिसूचित की थीं।

जबकि इसे समय-समय पर बढ़ाया गया था, जिसका पिछला विस्तार अधिसूचना संख्या का.आ. 4171 (अ), दिनांक 15 सितंबर, 2025 के तहत किया गया था, जो 15 नवम्बर, 2025 तक लागू है।

अब राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के द्वारा, घुटना प्रतिस्थापन प्रणाली के लिए आर्थोपेडिक घुटना प्रत्यारोपण की अधिकतम कीमतें जो 15 नवम्बर, 2025 तक लागू हैं, को 15 नवम्बर, 2025 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए, यानी 15 नवंबर, 2026 तक या अगली अधिसूचना आने तक, जो भी पहले हो, तक विस्तार किया जाता है।

2. दिनांक 16 अगस्त, 2017 के का. आ. 2668(अ) अधिसूचना की टिप्पणियां (ख) से (न) तक, इस आदेश के लागू रहने के दौरान प्रभावी रहेंगे।

[पीएन/271/139/2025/एफ/एफ.सं.8(139)/2025/डीपी/एनपीपीए-डिवीजन-II]

महावीर सैनी, उप निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(Department of Pharmaceuticals)
(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

ORDER

New Delhi, the 14th November, 2025

S.O. 5190(E).—Whereas the National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India notified the ceiling prices of Orthopaedic Knee Implants for Knee Replacement System *vide* S.O. 2668(E), dated the 16th August, 2017.

Whereas the same has been extended from time to time, the last extension being *vide* S.O. 4171(E), dated the 15th September, 2025, which is in force up to the 15th November, 2025.

Now, the National Pharmaceutical Pricing Authority hereby, extends the ceiling prices as applicable to the Orthopaedic Knee Implants for Knee Replacement System up to the 15th November, 2025 for a further period of one year beyond the 15th November, 2025, *i.e.*, up to the 15th November, 2026, or until further orders, whichever is earlier.

2. The Notes (b) to (t) of the notification S.O. 2668(E), dated the 16th August, 2017 shall remain in force during the currency of this order.

[PN/271/139/2025/F/F. No. 8(139)/2025/D.P./NPPA-Div.-II]

MAHAVEER SAINI, Dy. Director